

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
लोक सभा

अतारकित प्रश्न संख्या: 1982
उत्तर देने की तारीख: 11.03.2025

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम

1982. श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विगत वर्ष के दौरान अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण हेतु प्रत्येक वित्तीय समावेशन योजना के अंतर्गत आवंटित और उपयोग की गई निधि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) गत वर्ष के दौरान प्रत्येक योजना के अंतर्गत प्राप्त, स्वीकृत और लंबित प्रस्तावों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;
- (ग) विगत पांच वर्षों के दौरान एनबीसीएफडीसी के अंतर्गत राज्यवार तथा आन्ध्र प्रदेश राज्य को जारी की गई निधि का ब्यौरा क्या है; और
- (घ) आन्ध्र प्रदेश राज्य के लिए इस निधि के अंतर्गत वर्गीकृत लाभार्थियों की राज्यवार और जिलावार संख्या कितनी है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल. वर्मा)

- (क): वर्ष 2023-24 के दौरान अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) की ऋण योजनाओं के तहत आवंटित/वितरित और उपयोग की गई निधियों का राज्यवार ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है।
- (ख): वर्ष 2023-24 के दौरान प्राप्त, अनुमोदित और चैनल साझेदारों के पास लंबित वार्षिक कार्य योजना (एएपी) का राज्यवार ब्यौरा अनुबंध-II में दिया गया है।
- (ग): विगत पांच वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश सहित एनबीसीएफडीसी की ऋण योजनाओं के अंतर्गत जारी की गई निधियों का राज्यवार ब्यौरा अनुबंध-III में दिया गया है।
- (घ): वर्ष 2023-24 के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य में सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या का जिलावार ब्यौरा अनुबंध-IV में दिया गया है।

अनुबंध-I: "राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम" के संबंध में दिनांक 11.03.2025 को उत्तर हेतु श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू द्वारा पूछे गए लोक सभा स्वीकृत संसद अतारांकित प्रश्न संख्या 1982 के भाग (क) का उत्तर

क्र. सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का नाम	आवृत्ति/वितरित राशि (रु. लाख में)	उपयोग की गई राशि (रु. लाख में)
I.	राज्य		
1	आंध्र प्रदेश	2686.00	2686.00
2	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00
3	असम	37.00	37.00
4	बिहार	27.00	27.00
5	छत्तीसगढ़	1415.00	1415.00
6	गुजरात	540.00	540.00
7	गोवा	159.00	159.00
8	हरियाणा	640.00	640.00
9	हिमाचल प्रदेश	472.30	472.30
10	झारखंड	4.00	4.00
11	कर्नाटक	3439.00	3439.00
12	केरल	15803.00	15803.00
13	मध्य प्रदेश	37.00	37.00
14	महाराष्ट्र	322.00	322.00
15	मणिपुर	2.00	2.00
16	मेघालय	0.00	0.00
17	मिजोरम	0.00	0.00
18	नागालैंड	0.000	0.000
19	ओडिशा	35.00	35.00
20	पंजाब	1742.50	1742.50
21	राजस्थान	8.00	8.00
22	सिक्किम	201.00	201.00
23	तमिलनाडु	11662.00	11662.00
24	तेलंगाना	665.00	665.00
25	त्रिपुरा	607.40	607.40
26	उत्तर प्रदेश	8223.00	8223.00
27	उत्तराखंड	35.00	35.00
28	पश्चिम बंगाल	2.00	2.00
	उप-जोड़ राज्य (1 से 28)	48764.20	48764.20
II.	संघ राज्य क्षेत्र		
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00
30	चंडीगढ़	0.00	0.00
31	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	0.00	0.00
32	लद्दाख	0.00	0.00
33	दिल्ली	0.00	0.00
34	जम्मू और कश्मीर	242.00	242.00
35	लक्षद्वीप	0.00	0.00
36	पुडुचेरी	3503.00	3503.00
	उप-जोड़ संघ राज्य क्षेत्र (29 से 36)	3745.00	3745.00
	कुल (I+II)	52509.20	52509.20

अनुबंध-II: "राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम" के संबंध में दिनांक 11.03.2025 को उत्तर हेतु श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू द्वारा पूछे गए लोक सभा स्वीकृत संसद अतारक्ति प्रश्न संख्या 1982 के भाग (ख) का उत्तर

क्र. सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का नाम	प्राप्त एएपी (रु. लाख में)	अनुमोदित एएपी (रु. लाख में)	लंबित
	राज्य			
1	आंध्र प्रदेश	5000.00	5000.00	0
2	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0
3	असम	0.00	0.00	0
4	बिहार	0.00	0.00	0
5	छत्तीसगढ़	2086.00	2086.00	0
6	गोवा	201.20	200.00	0
7	गुजरात	3556.51	2599.40	0
8	हरियाणा	2124.88	1200.00	0
9	हिमाचल प्रदेश	500.10	500.00	0
10	झारखंड	175.50	176.00	0
11	कर्नाटक	4000.00	4000.00	0
12	केरल	17276.61	16700.00	0
13	मध्य प्रदेश	1500.00	1500.00	0
14	महाराष्ट्र	1000.00	1000.00	0
15	मणिपुर	0.00	0.00	0
16	मेघालय	0.00	0.00	0
17	मिजोरम	0.00	0.00	0
18	नागालैंड	0.00	0.00	0
19	ओडिशा	0.00	0.00	0
20	पंजाब	3000.00	3000.00	0
21	राजस्थान	1532.00	1500.00	0
22	सिक्किम	374.00	300.00	0
23	तमिलनाडु	11489.79	11500.00	0
24	तेलंगाना	591.00	591.00	0
25	त्रिपुरा	2510.00	1000.00	0
26	उत्तराखंड	100.00	100.00	0
27	उत्तर प्रदेश	13550.00	10000.00	0
28	पश्चिम बंगाल	907.60	500.00	0
	संघ राज्य क्षेत्र			
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	0
30	चंडीगढ़	4.63	4.63	0
31	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	0.00	0.00	0
32	लद्दाख	0.00	0.00	0
33	दिल्ली	134.00	134.00	0
34	जम्मू और कश्मीर	967.50	700.00	0
35	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0
36	पुडुचेरी	4100.00	3700.00	0
	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक			
37	बैंक ऑफ बड़ौदा	5000.00	5000.00	0
38	केनरा बैंक	3100.00	3000.00	0
39	पंजाब नेशनल बैंक	3600.00	3600.00	0
40	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	3500.00	3500.00	0
41	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	0.00	0.00	0

अनुबंध-III: "राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम" के संबंध में दिनांक 11.03.2025 को उत्तर हेतु श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू द्वारा पूछे गए लोक सभा स्वीकृत संसद अतारांकित प्रश्न संख्या 1982 के भाग (ग) का उत्तर

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का नाम	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
I	राज्य	वितरित राशि	वितरित राशि	वितरित राशि	वितरित राशि	वितरित राशि
1	आंध्र प्रदेश	151.65	35.32	1084.82	1879.71	2687.05
2	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	असम	1209.77	156.01	18.94	113.64	36.68
4	बिहार	270.10	68.75	105.86	363.63	26.97
5	छत्तीसगढ़	1391.78	474.80	1072.06	1372.82	1414.74
6	गोवा	130.00	50.00	40.00	135.00	159.62
7	गुजरात	2745.64	2931.71	2542.67	2517.50	538.91
8	हरियाणा	1071.90	431.96	782.20	541.13	640.91
9	हिमाचल प्रदेश	519.45	313.73	465.29	536.47	472.10
10	झारखंड	415.99	48.19	10.67	55.70	3.62
11	कर्नाटक	1584.20	148.21	212.13	719.73	3440.20
12	केरल	22278.07	16234.72	19586.00	17156.39	15801.93
13	मध्य प्रदेश	6179.58	3725.95	2660.97	565.35	37.11
14	महाराष्ट्र	228.02	38.10	404.74	482.16	321.7
15	मणिपुर	3.26	5.50	0.40	10.02	1.73
16	मेघालय	0.00	0.17	0.00	5.18	0.00
17	मिजोरम	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
18	नागालैंड	0.00	0.00	1.69	6.19	0.00
19	ओडिशा	221.07	52.99	44.54	137.66	35.36
20	पंजाब	1534.97	1869.38	2522.52	2219.49	1743.78
21	राजस्थान	3039.21	1413.91	1613.54	1584.55	7.70
22	सिक्किम	200.00	0.14	21.60	73.27	201.47
23	तमिलनाडु	8986.75	10823.28	8337.08	10456.93	11662.26
24	तेलंगाना	71.98	2453.08	66.93	79.82	664.84
25	त्रिपुरा	800.00	1016.37	987.73	504.53	607.13
26	उत्तर प्रदेश	5972.18	3590.02	3747.53	6804.98	8221.58
27	उत्तराखंड	165.87	25.81	86.32	170.46	34.5
28	पश्चिम बंगाल	616.84	12.15	17.69	177.58	1.62
	उप-जोड़ राज्य (1 से 28)	59788.28	45921.75	46433.92	48669.89	48763.51
II.	संघ राज्य क्षेत्र					
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2.33	0.00	0.00	2.25	0.00
30	चंडीगढ़	0.00	1.30	0.16	5.42	0.00
31	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	0.00	0.00	4.59	0.10	0.00
32	लद्दाख	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	1.95	138.39	22.46	6.94	0.00
34	जम्मू और कश्मीर	604.06	604.97	671.78	600.00	242.35
35	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	पुडुचेरी	21.06	4.17	4.53	1900.00	3503.04
	उप-जोड़ (29 से 36)	629.40	748.83	703.52	2514.71	3745.39
	कुल (I से II)	60417.68	46670.58	47137.44	51184.60	52508.90

अनुबंध-IV: "राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम" के संबंध में दिनांक 11.03.2025 को उत्तर हेतु श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू द्वारा पूछे गए लोक सभा स्वीकृत संसद अतारक्ति प्रश्न संख्या 1982 के भाग (घ) का उत्तर

क्र. सं.	जिला	लाभार्थियों की संख्या
1	अनकापल्ली	56
2	अनंतपुर	46
3	अन्नमय्या	57
4	बापतला	6
5	चित्तूर	383
6	डॉ. बी.आर. अम्बेडकर कोनसीमा	1
7	पूर्वी गोदावरी	21
8	एलुरु	135
9	गुंटूर	40
10	कृष्णा	512
11	कुरनूल	33
12	नलगोंडा	59
13	एनटीआर	301
14	पालनाडु	3
15	पार्वतीपुरम मन्यम	3
16	प्रकाशम	38
17	श्रीकाकुलम	16
18	श्री सत्य साई	63
19	तिरुपति	47
20	विशाखापत्तनम	4
21	विजयनगरम	79
22	पश्चिम गोदावरी	7
	कुल	1910
